<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 3/2022 **दायर दिनांकः 30/06/2022**

उनवान

1. भूली बाई आयु 61 वर्ष पुत्री छोटूलाल जाति कोली निवासी चरड़ाना तहसील अटरू हाल निवासी दीनदयाल पार्क बारां तहसील व जिला बारां ।
2. रुकमणी बाई आयु 65 वर्ष पुत्री छोटूलाल जाति कोली निवासी चरडाना तहसील अटरू हाल निवासी खाती कॉलोनी हॉस्पिटल रोड बारां तहसील व जिला बारां (राज0)।

अपीलान्टस

बनाम

1. सरपंच महोदय ग्राम पंचायत चरड़ाना तहसील अटरू जिला बारा (राज0)।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

रेस्पोडेन्टस्

<u>अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 69 दिनांक 01/06/2000</u>
<u>ग्राम पंचायत चरडाना तहसील अटरू</u>

उपस्थिति :—
अपीलांटस :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
रेस्पोडेन्ट :— पेरोकार सरकार रेस्पोडेन्टस क्रम 2

<u>निर्णय</u>

दिनाकः 15 /02/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि अपीलान्टस ने यह अपील इस आशय की पेश की है कि ग्राम एवं माल चरड़ाना तहसील अटरू की सम्वत् 2053 से 2056 मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 41 का ख.नं. 94 का रकबा 0.65 हेक्टर आराजी अपीलार्थीगण व कौशल्या, दाखा, धूली, रामरतन के पिता छोटू पुत्र बल्देव जाति कोली साकीन चरड़ाना के खाते दर्ज थी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 अपील के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। अपीलार्थीगण व कौशल्या, दाखा, धूली, रामरतन व मथरी बाई के पिता छोटू पुत्र बल्देव जाति कोली साकीन चरड़ाना का स्वर्गवास दिनांक 19.08.1996 को हो चुका

था। अपील की मद नं. 1 में वर्णित आराजी मृतक छोटू के स्थान पर फोती इन्तकाल नं. 69 दिनांक 01.06.2000 कौशल्या, दाखा, धूली, रामरतन व मथरी बाई के पक्ष में ग्राम पंचायत चरड़ाना द्वारा तस्दीक कर खोला गया था जिसमें अपीलार्थीगण के नाम दर्ज नही किये गये। ग्राम अरड़ाना पटवार क्षेत्र चरड़ाना में खाता संख्या 22 का कुल किता 6 का कुल रकबा 2.73 हेक्टर आराजी में नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 20.07.2018 से मृतक छोटूलाल के स्थान पर उसके वारिसान दाखा बाई, मथरी बाई, मूली बाई, कौशल्या, रुकमा, भूली बाई का नामान्तकरण सही दर्ज हुआ है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 साथ में संलग्न है। अपीलार्थीगण मृतक छोटूलाल पुत्र बल्देव के वारिसान होने की वजह से मृतक छोटूलाल के स्थान पर खोले गये फोती इन्तकाल नं. 69 दिनांक 01.06.2000 को निरस्त करवाकर अपीलार्थीगण व कौशल्या, दाखा, धूली, रामरतन व मथरी बाई के साथ अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवाकर समभाग में आराजी दर्ज करवाने की अधिकारी है। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता है। अस्तु यह अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 भूमिधारक होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अपीलार्थीगण द्वारा पटवार हल्का से के.सी.सी. बनवाने हेतु नकले लेने जाने पर पटवार हल्का द्वारा अपीलार्थीगण का नाम खाते में दर्ज नही होने की जानकारी देने पर दिनांक 20.01.2022 को हुई उसके बाद अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई जो अपीलार्थीगण को 30.05.2022 को प्राप्त हुई। इसलिए छोटूलाल के फोती इन्तकाल दर्ज करने की दिनांक 01.06.2000 से 30.05.2022 तक की अवधि को न्याय हित में कन्डोन किया जाकर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर नियमित सुनवाई की जावे लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है। अपील की जानकारी दिनांक 28.01.2022 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने पर हुई उसके बाद अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई जो अपीलार्थीगण को 30.05.2022 को प्राप्त हुई। इसलिए राजस्व रिकार्ड प्राप्त होने के उपरान्त से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः अपीलार्थीगण अपील प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपील की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में मृतक

छोटूलाल के स्थान पर खोले गये फोती इन्तकाल नं. 69 दिनांक 01.06.2000 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थीगण व कौशल्या, दाखा, धूली, रामरतन व मथरी बाई के वारिसान के नाम के साथ समभाग में पुनः नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा रेस्पोडेन्टस की तलबी जर्ये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा जवाब अपील पेश नहीं करने के कारण जवाब अपील बन्द की गई।

3. साक्ष्य अपीलांटस के तहत pw1 भूलीबाई, Pw2 रूकमणी पुत्रीयां छोटूलाल जाति कोली निवासी चरडाना के सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्य गवाहों ने सशपथ बयान किया कि ग्राम व माल चरडाना की खाता संख्या 41 का ख0नं0 94 का रकबा 0.65 है0 आराजी मेरे व कौशल, दाखा, भूलीबाई उर्फ धूलीबाई व रामरतन के पिता छोटूलाल का स्पर्गवास दिनांक 19.08.1996 को हो गया था। मेरे पिता के स्थान पर फौती इन्तकाल 69 दिनांक 1.6.2000 को बोला गया जिसमें मेरा व मेरी बहिन रूकमणी बाई का नाम सहवन से दर्ज नहीं किया गया। जबकि ग्राम अरडाना पटवार क्षेत्र चरडाना की खाता संख्या 22 का कुल किता 6 का रकबा 2.73 हे0 आराजी में नामान्तरण संख्या 264 दिनांक 20.07.2018 को मेरे पिता के स्थान पर फौती नामान्तरण खोला गया है। उसमें मेरा व मेरी बहिन रूकमणी का नाम मेरे पिता के अन्य वारिसान के साथ सही खोला गया है। अतः फौती नामान्तरण संख्या 69 निरस्त फरमाकर मेरा व मेरी बहिन व अन्य की अपील स्वीकार की जावे।

4. अभिभाषक अपीलान्टस् की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक अपीलान्टस ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि ग्राम पंचायत चरडाना द्वारा अपीलार्थी के पिता छोटूलाल कोली का फौती इंतकाल नं. 69 दिनांक 01.06.2000 को तस्दीक करते समय अपीलार्थीयों को छोडकर शेष वारीसान के नाम तस्दीक किया गया जिससे अपीलार्थीगण को अपने पिता की संपत्ति में अपने कानूनी हक व अधिकारों से वंचित होना पडा है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा आगे कथन किया कि मृतक छोटू पुत्र बलदेव जाति कोली साकिन चरडाना के वारिसान

केवल 6 पुत्रियां दाखा, धूली, कौशल्या, मथुरी, भूली व रूकमणी है। लेकिन इंतकाल संख्या 69 तस्दीक करते समय अपीलांटस को छोडकर शेष का नाम तस्दीक कर दिया गया। जबकि मृतक छोटूलाल की ग्राम अरडाना स्थित आराजी खाता संख्या 22 किता 6 रकबा 2.73 है0 में छोटूलाल का फौती इंतकाल संख्या 264 दिनांक 20.07.2018 तस्दीक करते समय दाखाबाई, मथरीबाई, धूलीबाई, भूलीबाई, रूकमा व कौशल्याबाई के नाम दर्ज किये गये जिससे साबित होता है कि अपीलान्टस मृतक छोटूलाल की वारिसान है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा पुनः कथन किया गया कि अपीलांटस को उक्त इंतकाल संख्या 69 का पता हल्का पटवारी से केसीसी बनाने के लिए दिनांक 20.01.2022 को भूमि की सूचना प्राप्त करते समय चला था। लेकिन कृषि कार्यों में व्यस्थ होने कारण अपीलांटस ने दिनांक 30.05.2022 को नकल प्राप्त की अतः न्यायहित में गरीब कृषक अपीलांटस के हुई देरी को माफ फरमाया जावे।

5. अभिभाषक अपीलांटस की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांटस द्वारा पेश ग्राम चरडाना की ख0नं0 94 की जमाबंदी संवत 2073–76 प्रदर्श 1 के अनुसार कोशल्या, दाखा, धूली, मथरी छोटूलाल की पुत्री के रूप में व रामरतन पुत्र के रूप में 1/5–1/5 भाग के सहखातेदार दर्ज है। ग्राम चरडाना की नामान्तरण संख्या 69 दिनांक 01.06. 2000 की नामान्तरण पंजिका प्रदर्श 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख0नं0 94 रकबा 0.65 है0 पर मृतक खातेदार छोटू पुत्र बलदेव कोली का फौती इंतकाल दर्ज करते समय वारिसान में रामरतन पुत्र व दाखा , मथरी, धूली, व कौशल्या को पुत्री माना गया है। ग्राम पंचायत चरडाना द्वारा जारी छोटूलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 01.07.1997 प्रदर्श 5ए के अनुसार छोटूलाल की मृत्यु 19.08. 1996 में हुई थी। अपीलांटस द्वारा पेश ग्राम अरडाना की जमाबंदी संवत 2070–73 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक खातेदार छोटूलाल पुत्र बलदेव कोली का तत्कालिन खाता संख्या 22 हाल खाता संख्या 25 में फौती इंतकाल संख्या 264 दिनांक 20.07.2018 तस्दीक करते समय दाखा बाई, मथरीबाई, भूलीबाई, कोशल्या, रूकमा व भूलीबाई को वारीसान माना गया है। ग्राम अरडाना के खाता संख्या 25 की हाल जमाबंदी संवत 2074–77 के अनुसार मृतक छोटूलाल की जगह उक्त 6 पुत्रियां 1/18–1/18 हिस्से की सहखातेदार दर्ज है। ग्राम चरडाना के ख0नं0 94 में दर्ज सहखातेदार रामरतन पुत्र छोटूलाल मृतक छोटूलाल का पुत्र है या नहीं –यह साक्ष्य के अभाव में स्पष्ट नहीं है।

6. इंतकाल संख्या 69 दिनांक 01.06.2000 हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पूर्व तस्दीक किया गया था। हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 6 का प्रभाव पूर्वगामी (रेट्रोस्पेक्टिव) होगा या भविष्यगामी (रेट्रोएक्टिव) होगा–इस संबंध में अभिभाषक अपीलांटस द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है। यहां नामान्तरण संख्या 69 के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि मृतक छोटूलाल की संपत्ति में पुत्रियों को वारिसान मानकर हिस्सा तो दिया गया है लेकिन छोटूलाल की कुल 6 पुत्रियों में से केवल 4 को ही वारीसान माना गया जबकि शेष 2 पुत्रियों –भूलीबाई व रूकमा बाई को छोड दिया गया था। ग्राम पंचातय द्वारा नामान्तरण तस्दीक करते समय मृतक की पुत्रियों के मध्य इस प्रकार का भेदभाव विधिविरूद्ध है। अतः अपीलांटस की अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 69 स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम चरडाना की आराजी ख0नं0 94 रकबा 0.65 है पर ग्राम पंचायत चरडाना द्वारा खोला गया फौती नामान्तरण संख्या 69 दिनांक 01.06.2000 **खारिज** किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि अपीलान्टस को मृतक छोटूलाल की पुत्रियां/वारिसान मानकर पुनः नियमानुसार नामान्तरण तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 15/02/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां